

Govt. T.C.L. P.G. College, Janjgir Distt.- Janjgir-Champa, Chhattisgarh

Affiliated to Shaheed Nandkumar Patel University Raigarh (C.G.)

Accredited with Grade - 'B' by NAAC

Email id- tclpgcollege@gmail.com

College Code-307

Website- https://www.govttclpgcollege.ac.in

UGC CODE-201050 AISHE CODE - C-22319

Mobile No. 9589341000

6.3.1 Effective welfare measures for teaching and non-teaching Staff

S.N.	Name of beneficiary	Welfare scheme
1.	Dr. Ambika Prasad Verma	Medical Re-imbursement
2.	Prof. R. K.Pandey	Medical Re-imbursement
3.	Mr. Naresh Kumar Azad	Medical Re-imbursement
4.	Dr. K. K. Patel	Medical Re-imbursement
5.	Mr. O.P. singh	Medical Re-imbursement
6.	Dr. (Smt.) Vrinda Sen Gupta	Medical Re-imbursement
7.	Smt. Kasturi Bai	GPF Temporary advance



कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412, फैक्स - 2263412, Email - highereducation.cg@gmail.com

क0 48 /18 /आउशि/बजट/2021 प्रति.

रायपुर दिनांक ...13 744

प्राचार्य

शासकीय टी.सी.एल. रनातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विषय :-

मांग संख्या-64 अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त आबंटन प्रदाय करने संबंधी ।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके महाविद्यालय में कार्यरत डॉ० श्रीमती वृन्दासेन गुप्ता, सहायक प्राध्यापक के लंबित देयक अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त आबंटन प्रदाय किया जाता है:-

कं.	महाविधालय का नाम	वेतन भत्ते (चिकित्सा व्यय) राशि रूपयों में	
	HEAD 64-2202-03-103-0103-0798	01-015	
1	शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर जिला जांजगीर—चांपा (छ.ग.)	4,66,000/-	

आबंटन का अभिप्राय भुगतान की स्वीकृति नहीं है। चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 व शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन अनिवार्यतः करते हुये संबंधितों के द्वारा किये गये देयकों के परीक्षण उपरांत नियमानुसार ही भुगतान किया जावे। अनियमितता या नियन विरुद्ध आहरण/भुगतान किये जाने पर कार्यालय प्रमुख/डी.डी.ओ. की जिम्मेदारी

उक्त आबंटन मांग संख्या-64-अनुसूचित जाति उपयोजना -2202 सामान्य शिक्षा-(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (103)-सरकारी कालेज और संस्थाये--0103-अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना —798— कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय—01--वेतन भत्ते — 015-चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना मद के अंतुर्गेष दिकलनीय होगा। अपर संवालक (वित्त)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

∆उच्च शिक्षा संचाल/गलय, अटल नगर राय**पुर**

पृ क्रमांक 47/18 /आउशि/बजट./2021 प्रतिलिपि:-

महालेखाकार, छ०ग० रायपुर 1.

आयुक्त, कोषलेखा एवं पेंशन, रायपुर 2.

संबंधित कोषालय अधिकारीकी ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उच्च शिक्षा संचात नालय, अटल नगर रायपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक सी. 30, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

फोन नं. 0771-2263412, फैक्स - 2263412, Email - highereducation.cg@gmail.com

क0 /05/आउशि/वजट/2022 प्रति, [[

रायपुर दिनांक /2/04/2022

प्राचार्य

शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय

जांजगीर जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

विषय:-

मांग संख्या-64 अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त आबंटन प्रदाय करने संबंधी ।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके महाविद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों / कर्मचारियों के लंबित देयक अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद में अतिरिक्त आबंटन प्रदाय किया जाता है:-

स.क.	अधिकारियों / कर्मचारी का नाम एवं पद	वेतन भत्ते (चिकित्सा व्यय) राशि रूपयों में
_	HEAD 64-2202-03-103-0103-0798	01-015
1.	श्री नरेश कुमार आजाद, सहा.प्रा.	The second secon
2	डॉ. अम्बिका प्रसाद वर्मा, सहा.प्रा.	1,25,591/-
3	डॉ० के०के०पटेल, सहा०प्रा०	4,24,608/-
		37,662/-
	कुल योग :	5,87,861/-

आबंटन का अभिप्राय भुगतान की स्वीकृति नहीं है। चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 व शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का परिपालन अनिवार्यतः करते हुये संबंधितों के द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों के परीक्षण एवं अन्य कही से उक्त देयकों के भुगतान प्राप्त न किये जाने सम्बंधी शपथ पत्र प्राप्ति उपरांत नियमानुसार ही भुगतान किया जावे। अनियमितता या नियम विरूद्ध आहरण/भुगतान किये जाने पर कार्यालय प्रमुख/डी.डी.ओ. की जिम्मेदारी होगी।

उक्त आबंटन मांग संख्या-64-अनुसूचित जाति उपयोजना -2202 सामान्य शिक्षा-(03) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा (103)-सरकारी कालेज और संस्थाये--0103-अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना -798- कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय-01-वेतन भत्ते 015-चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुसूचित जाति क्षेत्र उपयोजना मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

04dell3/2/04/22 सहायक संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर रायपुर रायपुर, दिनांक /2/04/2022

पृ क्रमांक /2 /05/आउशि/बजट./2022 प्रतिलिपि:-

महालेखाकार, छ०ग० रायपुर 1.

आयुक्त, कोषलेखा एवं पेंशन, रायपुर 2.

संबंधित कोषालय अधिकारी

.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

सहायक संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर रायपुर

D:\BUDGET SHAKHA\BUDGET 2021-22\Medical Allotment\Medical Allot. Letter 2017-18-19-20-21.docx

पाचार्य. शा.टी.सी.एल.स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर, जिला - जांजगीर चाम्पा (छ.ग.)।

विषय - टेम्प्रेरी एडवांस की स्वीकृति बाबत्।



महोदय.

निवेदन है कि मुझे स्वंय के ईलाज के लिए टेम्प्रेरी एडवांस की आवश्यकता है।

अस्तु आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरे डी.पी.एफ. खाते से रू.30000 टेम्प्रेरी एडवांस के रूप में स्वीकृत करने का कृपा करेंगे।

कस्त्री बाई यादव शासकीय टी.सी.एल. स्नातकोत्तर महाविद्यालय जांजगीर (छ.ग.)

MO 6000

ch24121

Date 2

Signature of the Subscriber

	SENCTION BY THE COM	PETERNT AUTHORITY	
	Order No.	Date 25.	
	30000	RS. M. S. S. WILL & H.	
12.	Amount hereby sanctioned Amount hereby sanctioned	TEMPORARY/PART FINAL ADVANCE	
	2. (a) Nature of withdrawal sanctioned	TANCE	
	(b) Number of instalments in which the amount is to be authorised if it is a	+ 4 / 11	
	Part final withdrawal / Part final Advance	Treatment of self	
	- List the Constion is accorded.	15 (1) B (2)	
	4. If the sanction is given for special reasons.	To restruct of	
	(the reasons in brief.)	The second second	
	5. No. of instalments in which the amount is to		
	be repaid (the instalment should be equal)	2000 for Pormonth setal	
	in amount and in whole rupees)		U
	Head of account to which the amount	2202	-
	is to be debited.		
	7. Conditions :		11,
	(Delete those which are not applicable.)		
	(a) The amount is to be drawn after	or fer habe	
	authorisation by the A.G.M.P.		
	(b) The amount withdrawn shall be sanctioned		
	for the specific purpose for which it is		
	withdrawn and a utilisation certificate	to the second of	
	shall be furnished by the subscriber		
	within a period of months.	17es	
	(c) Any amount in excess of actual utilisation		
	should be returned into treasury		
	Immediately with interest.	Y-09 5	70
	(d) Any other conditon.	W. T.	
	8. It is certified that all the conditions required to	NO	
	be fulfilled for this sanction have been satisfied.	1 / Yes	
	Salished.	11 0000	
	Date200	JCV . C52014	
		Signature of the Santioning	
	Endtt, No.	Arthority and Designation GE	
	Forwared to	anjaratisti. Janigir Champa (C.G.)	
	(1) 전 (1	D.D.O. Code - 0638001	
	General	at the same of	
	Head of Department, 3. Treasure Officer	4 Pomos I St	
	412 100	4. Personal file 5. Applicant	
1			
		Distriction 1	
		PRINCIPAL Gover.C.L.P.G.COLLEGE	
		Janjeir, Dist. Janjeir Champa (C.G.)	
		D.D.O. Code - 0638901	